कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा

पत्रांक– 198 / 14–10–1 दिनांक, इटावा, जुलाई , 15 , 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल कानपुर

विषयः जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा–ग्वालियर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–92 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–719) के किमी0–70.500 से 74.700 तक के भाग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में 6.930 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव उस पर अवस्थित 259 वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/150997/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में सादर अवगत कराना है कि जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा–ग्वालियर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–92 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–719) के किमी0–70.500 से 74.700 तक के भाग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में 6.930 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर 05 प्रतियो में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। विषयगत प्रकरण में स्वयं मौके का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि की मांग न्यूनतम है एवं इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। प्रस्ताव में कोई वन स्वरूप क्षेत्र सम्मिलत नहीं है तथा विषयगत मार्ग राष्ट्रीय चम्बल वन्यजीव विहार के 01 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत आता है अतः विषयगत प्रकरण में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम–1972 के अन्तर्गत Wildlife clearance लिया जाना अनिवार्य है।

अतः प्रस्ताव 04 प्रतियों में ऑनलाइन अपलोड कर संस्तुति सहित आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(अतुलकान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा

पत्रांकः– 198 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिशाषी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अतुलकान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा